

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री अमरा

विपक्षी : पेमा

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 46/20

जीसीएमएस : 2020/00197

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 06.06.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में दिनांक 05.06.2023 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार होकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका है। चूंकि मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र में उभय पक्ष को मूल वाद में अन्तिम डिक्री जारी होने तक पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिससे उक्त प्रकरण में बंटवाडा होने तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनी रहे, ताकि बंटवाडे के दौरान किसी प्रकार की पैचिदगीया उत्पन्न ना हो।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 का आंशिक स्वीकार कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली की आराजी न. 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1189, 1877, 1879, 2082, 2119, 2123, 2138, 2181, 2183, 2186, 2579, 2628, 2662, 2667, 2675, 2678, 2875, 2878, 4600/2705, 4604/2885, 4607/2502, 4610/2624, 4612/2623 कुल किता 29 रकबा 15 बीघा भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

